रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1993/श्रावण 6, 1915
No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1993/SRAVANA 6, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 39/93—एन. टी. सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1993

का.आ. सं० 572(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 37/93-एन.टी. सीमाशुल्क का.आ. सं. 415(अ), तारीख 28 जून, 1993 को अधिक्रान्त करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां तक उनका संबंध निर्यात माल से है, यह अवधारित करती है कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी

करेंसी से भारतीय करेंसी या भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर 1 अगस्त, 1993 से वह होगी जो उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है :—

अनुसूची

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	100 रु. के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रिया के शिलिंग	38.8500
2.	आस्ट्रेलिया के डालर	4.7200
3.	बेल्जियम के फ्रैंक	114.5000
4.	कनाडा के डालर	4.1000
5.	डेनमार्क के क्रोनर	21.4300
6.	फ्रुत्से मार्क	5.5150
7.	डच गिल्डर	6.2025
8.	फ्रांस के फ्रैंक	18.8350
9.	हांगकांग के डालर	24.8000
10.	इतालवी लीरा	5139.0000
11.	जापानी येन	341.5000
12.	मलेशिया के डालर	8.2123
13.	नार्वे के क्रोनर	23.5100
14.	पौंड स्टर्लिंग	2.1330
15.	स्वीडन के क्रोनर	25.7300
16.	स्विटजरलैण्ड के फ्रैंक	4.8675
17.	संयुक्त राज्य अमरीका के डालर	3.1975
18.	सिंगापुर के डालर	5.1750

[फा. सं. 503/8/93-सी. शु.-6]

नि. रा. कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Excise and Customs

NOTIFICATION

No. 39/93-NT-CUSTOMS

New Delhi, the 28th July, 1993

S.O. No. 572.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37/93-NT-Customs, S.O. No. 415(E) dated the 28th June, 1993 the Central Government hereby determines for the purposes of said section, insofar as these relate to export goods, that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or vice-versa shall, with effect from the 1st day of August, 1993 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	38.8500
2.	Australian Dollars	4.7200
3.	Belgian Francs	114.5000
4.	Canadian Dollars	4.1000
5.	Danish Kroners	21.4300
6.	Deutsche Marks	5.5150
7.	Dutch Guilders	6.2025
8.	French Francs	18.8350
9.	Hong Kong Dollars	24.8000

(1)	(2)	(3)
10.	Italian Lire	5139.0000
11.	Japanese Yen	341.5000
12.	Malayasian Dollars	8.2125
13.	Norwegian Kroners	23.5100
14.	Pound Sterling	2.1330
15.	Swedish Kroners	25.7300
16.	Swiss Francs	4.8675
17.	U.S. Dollars	3.195
18.	Singapore Dollars	5.1750

[F.No. 503/8/93-Cus. VI]

T.R. KAPOOR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993